उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-104/2015/890/1-5-2015-14/2015

लखनऊ : दिनांक 25 जून, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद मथुरा में एक नई तहसील सृजित करते हैं, जो तहसील गोवर्धन के नाम से जानी जायेगी, जिसका मुख्यालय गोवर्धन होगा, जिसमें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे और विद्यमान तहसील मथुरा एवं छाता की सीमाओं को, उसमें से उक्त ग्रामों को अपवर्जित करके परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

तहसील मथुरा एवं छाता से अपवर्जित किये गये और नवसृजित तहसील गोवर्धन में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूचीः-

तहसील मथुरा के ग्राम							
1	अडीग	23	आन्यौर	45	लालपुर	67	रूपनगर
2	माधुरीकुंड	24	जतीपुरा	46	चकसामन्त	68	खोर
3	सोंसा	25	देवसेरस	47	नगला सामन्त	69	मानपुर
4	पाली ब्राह्मनान	26	मडौरा	48	मगौर्रा	70	डभाला
5	जमुनावता	27	बछगांव	49	ढकपुरा	71	रामकौली
6	भवनपुरा	28	सोंख उर्फ डूँगरापटटी	50	कोसीखुर्द	72	हाथिया
7	नीमगांव	29	पैठा	51	सेंहा	73	कमई
8	कुन्जेरा	30	कौथरा	52	पुरा	74	नाह्रा
9	भगौसा	31	गोवर्धन ब्रह्मनान	53	सौनोठ जनूबी	75	रहेडा
10	सकरवा	32	महमदपुर	54	सौनोठ सुमाली	76	सहार
11	सकीतरा	33	गोवर्धन गौरवा	55	रसूलपुर	77	देवपुरा
12	राधाकुंड	34	मल्हू	56	झपरा	78	डाहरौली
13	पाडल	35	लौरियापटटी	57	गोपालपुर	79	ततारपुर
14	महरौली	36	सीगापटटी	58	बसई	80	बझेडा
15	जानू	37	अहमल	59	माल	81	सिवाल
16	दौलतपुर मथुरा	38	बोरपा	**तहसील छाता के ग्राम**		82	भरनाकलां
				60	संकेत		
17	मुडसेरस	39	नगला छिंगा	61	लौहरवारी	83	पाली
18	पलसों	40	नैनूपटटी	62	रीठौरा	84	डिरावली
19	सीह	41	सौन	63	बरसाना	85	भरनाखुर्द
20	गांठौली	42	पालीडूँगरा	64	चिकसौली	86	पेलखू
21	मलसराय	43	भदार	65	ऊँचागांव	87	जमालपुर
22	टोड	44	फौडर	66	गाजीपुर		

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-104/2015/890(1)/1-5-2015-14/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, मथुरा।

2- प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक 25 जून, 2015 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग-5, 20 प्रतियां जिलाधिकारी, मथुरा, 20 प्रतियां आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा तथा 50 प्रतियां आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग-9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8- राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ/निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Rajaswa Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.104/2015/890/1-5-2015-14/2015 , dated 25 June, 2015 for general information :-

Notification

No. 104/2015/890/1-5-2015-14/2015

Lucknow, Dated 25 June, 2015

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 11 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. I of 1904) and in partial modification of Government notifications issued earlier in this behalf, the Governor is pleased to create a new tahsil to be known as tahsil Goverdhan in district Mathura with its Headquarters at Goverdhan comprising the villages specified in the Schedule below and to alter the limits of existing tahsil Mathura and Chhata by excluding the said villages there from with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

Schedule

List of villages excluded from tahsil Mathura and Chhata and included in the newly created tahsil Goverdhan.

Village of tahsil Mathura							
1	Ading	23	Anyor	45	Lalpur	67	Roop Nagar
2	Madhuri Kund	24	Jatipura	46	Chak samant	68	Khor
3	Sonsa	25	Devseras	47	Nagla samant	69	Man Pur
4	Pali Brahamnan	26	Madaura	48	Magorra	70	Dabhala
5	Jamunavata	27	Bachhgaon	49	Dhakpura	71	Rankoli
6	Bhawan Pura	28	Sonkh urf Dungrapatti	50	Kosi khurd	72	Hathiya
7	Neem Gaon	29	Pentha	51	Senha	73	Kamai
8	Kunjera	30	Konthara	52	Pura	74	Nahara
9	Bhagausa	31	Goverdhan Brahmnan	53	Sonoth janubi	75	Raheda
10	Sakarva	32	Mehmadpur	54	Sonoth sumali	76	Sahar
11	Sakitara	33	Goverdhan Gorva	55	Rasulpur	77	Deo Pura
12	Radha kund	34	Malhu	56	Jhapra	78	Dahroli
13	Padal	35	Loriya patti	57	Gopalpur	79	Tatar Pur
14	Maharauli	36	Singa patti	58	Basai	80	Bajheda
15	Janu	37	Ahamal	59	Mal	81	Sival
16	Daulatpur Mathura	38	Borpa	**Village of tahsil Chhata**		82	Bharana Kalan
				60	Sanket		
17	Mudseras	39	Nagla chhinga	61	Loharwari	83	Pali
18	Palson	40	Nainu patti	62	Reethora	84	Diravali
19	Seeh	41	Son	63	Barsana	85	Bharana Khurd
20	Gantholi	42	Pali dungra	64	Chicksoli	86	Pelkhu
21	Malsarai	43	Bhadar	65	Uncha gaon	87	Jamal Pur
22	Tond	44	Fonder	66	Gazipur		

By Order,

Suresh Chandra
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।